प्रेषक,

दीपा राय,
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।

सेवा में,

श्रीमान अपर महानिदेशक
अभियोजन उ०प्र०
शालीमार टॉवर, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
गोरखपुर।

विषयः **उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद का पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित होने के कारण पुरानी पेन्शन योजना में शामिल किए जाने हेतु विकल्प दिए जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांक 28, जून 2024 एवम् शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/ दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांकित 11, जुलाई, 2024 के क्रम में राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली) लागू किये किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत अवगत कराना है कि मैं वर्तमान में विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर के पद पर कार्यरत हूँ। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेरा चयन/नियुक्ति विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1-2003, रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर 2003, विज्ञप्ति के सापेक्ष दिनांक -26.05.2006 (उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग -4 संख्या-2430/दो-4-06-32/1/2001 टी०सी०-1 लखनऊ दिनांकित 26 मई 2006) को सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर हुआ था। उक्त सेवा भी अद्यतन शासनादेश के अनुसार पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित है।

राज्य सरकार के अधीन मेरी प्रथम नियुक्ति सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर विज्ञापन संख्या-ए-4/ई-1/2002 दिनांकित 31.12.2002 के सापेक्ष गृह (पुलिस) अनुभाग-9 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 821/छ-पु०-9-31 (100)/2004, दिनांकित 6 अप्रैल 2005 को हुई थी। मेरे द्वारा निदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-136-2004/2123/05, लखनऊ दिनांकित 06 अप्रैल 2005 के अनुपालन में दिनांक 11.04.2005 के पूर्वान्ह में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिक्षणार्थ पदभार ग्रहण किया था। मैं प्रशिक्षणोपरान्त जनपद सुल्तानपुर में कार्यरत रही। दौरान कार्यकाल अभियोजन सेवा, अभियोजन निदेशालय के पत्रांक-एक-दो-136-2004(26)/3099/05, दिनांकित 26 मई 2005 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2003 के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के उपरान्त सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर चयनित होने के बाद अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक संख्या-एक-दो-ए०पी०ओ०-कार्यमुक्त- 2006/4622/06, दिनांकित 19.06.2006 के अनुपालन में दिनांक 20.06.2006 को अपरान्ह जनपद सुल्तानपुर से कार्यमुक्त होकर माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या-1013/ डी०आर०(एस)/2006, दिनांकित 13.06.2006 के अनुपालन में दिनांक 21.06.2006 के पूर्वान्ह जनपद रायबरेली में न्यायिक

मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लगातार न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए वर्तमान में विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर के पद पर कार्यरत हूँ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-191/दो-4-2023-23(24)/2006 लखनऊ दिनांकित 31 मई 2023 के द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 21.06.2006 को मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से दिनांक 20.06.2006 तक की गयी सेवा को वर्तमान सेवा में सी०एस०आर० के अनुच्छेद- 361 तथा अधिसूचना संख्या-सा- 3-379/दस-2005-301(9)-2003, दिनांक 28.03.2005 सपठित अधिसूचना संख्या-16/2019/सा-3-322/दस-2019-301(8)/2015 दिनांक 16.04.2019 के प्रावधानों के अधीन सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त स्वीकृति की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या- 9803/IV-3213/Admin.(A) दिनांकित जुलाई 25, 2023 द्वारा प्रेषित की गयी है। चूंकि उपरोक्त अद्यतन शासनादेशों क्रमशः संख्या - 14/2024/सा-3-243/दस-2024/ 301(1) /2024 दिनांक 28, जून 2024 एवम् शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/ दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांकित 11, जुलाई, 2024 के क्रम में मेरी राज्य के अधीन प्रथम नियुक्ति अभियोजन सेवा (सहायक अभियोजन अधिकारी) के रूप में है। अतः उपरोक्त सेवा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने के कारण मैं शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/ दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांक 28, जून 2024 के अर्न्तगत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये। तद्नुसार दिनांक 11 जुलाई 24 को शासन द्वारा जारी विकल्प पत्र के प्रारूप पर आवेदन संलग्न करते हुए आवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः-

1. विकल्प पत्र।
2. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति।
3. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण की प्रति।
4. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद से न्यायिक सेवा में जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
5. सहायक अभियोजन अधिकारी के पद से कार्य मुक्ति आदेश की प्रति।
6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में की गयी सेवा जोड़े जाने के संबंध में प्रेषित पत्र की प्रति।
7. उ०प्र० शासन द्वारा पूर्व में की गयी सेवा को जोड़े जाने हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप की प्रति।
8. वर्तमान प्रोफाइल की प्रति।

दिनांक 05.08.2024

भवदीया
Deepa Rai
(दीपा राय) 5-8-24
विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.सी.एक्ट),
गोरखपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्रीमान् महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

दिनांक 05.08.2024

भवदीया
Deepa Rai
(दीपा राय)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.सी.एक्ट),
गोरखपुर।

Office of the District Judge Gorakhpur
Letter No. 1329/I Dated/Gorakhpur 05.8.24
1380/I
FORWARDED

District Judge

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/ दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांकित 11, जुलाई, 2024 का संलग्नकः-

विकल्प पत्र

1. नामः- **दीपा राय**

2. वर्तमान पदनामः- **विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), गोरखपुर।**

3. वेतनमानः- **J-5-144840 - 194660**

4. वर्तमान विभाग का नामः- **न्याय विभाग**

5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नामः- **अभियोजन विभाग**

6. विज्ञप्ति की तिथिः- **31.12.2002 (विज्ञापन संख्या- ए-4/ई.-1 /2002)**

7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथिः- **06.04.2005**

8. योगदान की तिथिः- **11.04.2005**

9. जन्मतिथिः- **10.09.1978**

10. सेवानिवृत्ति की तिथिः- **30.09.1938**

मैं **दीपा राय पुत्री श्री अवधेश राय** शासनादेश संख्या- **14/2024/सा-3-243/ दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024** के अंतर्गत पुरानी पेशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाए।

हस्ताक्षर Deepa Rai 5-8-24
नामः- दीपा राय
पदनामः- विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट), गोरखपुर।

घोषणा पत्र

मैं **दीपा राय, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर** यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सहीं है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर Deepa Rai 5-8-24
नामः- दीपा राय
पदनामः- विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट), गोरखपुर।

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती .... पदनाम ....
को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( ) /नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

(2)

स्पीड–पोस्ट

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ ।

पत्रांकः एक–दो–136–2004/2123 /05 लखनऊ दिनांकः 6 अप्रैल, 2005

सुश्री दीपा राय,
पता–34, देव नगर, कालोनी,
सेक्टर –8, इन्दिरा नगर,
थाना–गाजीपुर, लखनऊ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग–9 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–821/छ–पु0–9–31(100)/2004 दिनांकित– 6 अप्रैल, 2005 के द्वारा आपको सहायक अभियोजन अधिकारी वेतनमान रू0 6500–200–10500 में अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है।

2– आपको डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के साथ दिनांक–11.4.2005 को पूर्वान्ह में अवश्य कार्यभार ग्रहण करना है। यदि निर्धारित अवधि तक आप कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं और न ही आपसे समय बढ़ाने के लिए ठोस कारण दर्शाते हुए कोई प्रार्थना–पत्र उस अवधि के अन्दर प्राप्त होता है तो उक्त तिथि के बाद से आपका अभ्यर्थन स्वंयमेव समाप्त हो जायेगा।

3– डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

4– आपको वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा अनुमन्य भत्ता मंहगाई भत्ता व समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होगें।

5– कार्यभार ग्रहण करते समय आपको निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होगें–

1– ओथ आफ एलिजियन्स संबंधी प्रमाण–पत्र।
2– गोपनीयता संबधी प्रमाण–पत्र।
3– चल,अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।
4– विवाहित होने की दशा में एक पत्नी/पति होने का प्रमाण–पत्र।
5– दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

दिनांक–11.4.2005 से डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आपका 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा, जिसके लिए कृपया आप 2 नेकर (सफेद), 2 टीशर्ट कालरदार (सफेद), 2 पैंट (सफेद), 2 सफेद कमीज, एक काली टाई, एक जोडी ब्लेक शूज, व एक जोडी पी0टी0 शूज सफेद, 2 जोडी सफेद मोजे व विस्तर व कम से कम रूपया 3000/– की धनराशि मेस एडवान्स हेतु व अन्य खर्चों हेतु अलग से लेकर आयें।

......2/

7— डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण समाप्त होने पर आपका आगामी प्रशिक्षण निम्न प्रकार होगा—

1. एक माह का प्रशिक्षण न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
2. एक माह का प्रशिक्षण न्यायालयों में किसी जनपद में।
3. एक माह का प्रशिक्षण थाना में किसी भी जनपद में।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आपको अलग से अवगत कराया जायेगा।

(एच0 एस0 बलवारिया)
निदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

प्रतिलिपि—

1. संयुक्त सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग—9 उ0प्र0 शासन को उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या——821/छ—पु0—9—31(100)/2004 दिनांकित— 6 अप्रैल, 2005 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर पुलिस महानिदेशक/प्रधानाचार्य, डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद को नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारियों की सूची इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें—
   1 कार्यभार ग्रहण करने हेतु आने वाले नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारी के आगमन पर उनके समुचित मार्गदर्शन की व्यवस्था ।
   2. जो नवचयनित सहायक अभियोजन अधिकारी दिनांक 11.4.2005 तक कार्यभार ग्रहण करते हैं उनकी सूची तथा उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मूल रूप में तथा जो उक्त तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी सूची अलग—अलग दो प्रतियों में भेजने का कष्ट करें।
3. संयुक्त निदेशक अभियोजन,मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादबाद को इस आशय से कि उक्त अभ्यर्थी के डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में कार्यभार ग्रहण की सूचना प्राप्त होने पर वेतन आहरण/वितरण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करे।
4. फैक्स वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद— लखनऊ को इस आशय से कि उक्त अभ्यर्थी के अंकित पते पर इस पत्र की तामीली तत्काल सुनिश्चत कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करायें।
5. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(एच0 एस0 बलवारिया)
निदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

(3)

प्रभार प्रमाण पत्र

पत्रसंख्या-प-449/2005/ दिनॉक:अप्रैल 11 . 2005

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक अभियोजन अधिकारी (परि0) डा0भीमराव आम्बेडकर पुलिस अकादमी,उ0प्र0 मुरादाबाद का पदाधिकार निदेशक अभियोजन उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या-एक-दो-136-2004/2123 /05 दिनॉकित 29-3-2005 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, दिनॉक: अप्रैल 11 , 05 के पूर्वान्ह/~~अपरान्ह~~ में हस्तान्तरित किया गया ।

Deepa Rai 11-04-05

दीपा राय

मोचक अधिकारी ...(दीपा राय).....

(सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आगमन करने के फलस्वरूप)

प्रतिहस्ताक्षरित

11/4/05

अध्यक्ष विधि संकाय
डा0भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी
उ0प्र0मुरादाबाद ।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-पुलिस महानिरीक्षक,प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ ।
2--अपर निदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
3-संयुक्त निदेशक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद ।
4-कोषाधिकारी मुरादाबाद ।
5-संबंधित अधिकारी ।
6-कार्यालय प्रति ।

(4)

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांकः एक–दो–136–2004(26)/ 3099 /05 दिनांकः 26 मई, 2005

//अनापत्ति प्रमाण– पत्र//

सुश्री दीपा राय नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रशिक्षु) डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद को अभियोजन निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा–2003 के साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रदान की गयी थी, यदि इनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा हेतु की जाती है तो शासन के अनुमोदनोपरांत इन्हें कार्यमुक्त किये जाने में अभियोजन निदेशालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Vijan 26.5

(सुजान वीर सिंह)
अपर निदेशक अभियोजन
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः

निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. पुलिस उपमहानिरीक्षक, डा0 भीम राव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद ।
2. सुश्री दीपा राय सहायक अभियोजन अधिकारी, प्रशिक्षु मुरादाबाद।

Vijan 26.5

(सुजान वीर सिंह)
अपर निदेशक अभियोजन
उ0प्र0, लखनऊ।

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक–एक–दो–एपीओ–कार्यमुक्त–2006/4622/06 लखनऊ दिनांक–19 जून, 2006

ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी,

जनपद–मेरठ/बिजनौर/शाहजहाँपुर/श्रावस्ती/बुलंदशहर/सीतापुर/कानपुर नगर/
[illegible]पुर/रामपुर/इटावा/फिरोजाबाद/सुल्तानपुर/देवरिया/मैनपुरी/खीरी/प्रतापगढ़/
पीलीभीत/अम्बेडकरनगर/बागपत/ संतकबीरनगर/हरदोई/बस्ती।

विषय :– लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ0प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा–2003 के आधार पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चयन के फलस्वरूप कतिपय सहायक अभियोजन अधिकारियों को कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में ।

कृपया शासन के पत्र संख्या–1390/छ–पु0–9–2006–31(107)/99 दिनांकित–19 जून 2006 द्वारा निर्देशित किया गया है कि "उ0प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा 2003 के आधार पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चयन के फलस्वरूप निम्नलिखित सहायक अभियोजन अधिकारियों को इस शर्त के साथ नियमानुसार अवमुक्त किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उक्त अधिकारियों का अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर धारणाधिकार (लियन) नहीं रहेगा।"

क्र0सं0	सहायक अभियोजन अधिकारी का नाम कु0/सर्वश्री/श्रीमती–	तैनाती का स्थान
1	2	3
1.	अर्चना गुप्ता	मेरठ
2.	सर्वेश कुमार पाण्डेय	बिजनौर
3.	प्रमोद कुमार	शाहजहाँपुर
4.	चन्द्र शेखर मिश्रा	शाहजहाँपुर
5.	चन्द्र विजय श्रीनेत	श्रावस्ती
6.	कृष्ण कुमार	बुलंदशहर

---2

7.	परशुराम	सीतापुर
8.	राम करन यादव	सीतापुर
9.	हरवंश नारायण	कानपुर नगर
10.	विजय बहादुर यादव	गोरखपुर
11.	संतोष कुमार यादव	रामपुर
12.	अवधेश कुमार सिंह	इटावा
13.	राम लाल	फिरोजाबाद
14.	आदित्य चतुर्वेदी	फिरोजाबाद
15.	दीपा राय	सुलतानपुर
16.	नितीश कुमार राय	देवरिया
17.	सुबोध सिंह	मैनपुरी
18.	प्रमेन्द्र कुमार	मैनपुरी
19.	निरंज[illegible] [illegible]मार	खीरी
20.	पंक[illegible] [illegible]सवाल	खीरी
21.	राधे [illegible] श्रीवास्तव	प्रतापगढ़
22.	आज[illegible] [illegible]सह	पीलीभीत
23.	कु[illegible] कुमार	देवरिया
24.	मह[illegible] [illegible]न्द्र वर्मा	अम्बेडकरनगर
25.	शिखा [illegible]ीवास्तव	अम्बेडकरनगर
26.	प्रशान्त मित्तल	बागपत
27.	राहुल सिंह	संतकबीरनगर
28.	कु0 कंचन	हरदोई

अतः अनुरोध है कि तदनुसार कार्यवाही करें तथा कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त अधिकारी के पक्ष में कोई देयक/प्रकरण लम्बित न हो एवं कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(सुजान वीर सिंह)
अपर निदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

...3/

प्रतिलिपि-

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- विशेष सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या-1390/छ-पु0-9-2006-31(107)/99 दिनांकित-19 जून, 2006 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- संयुक्त निदेशक अभियोजन, मेरठ/मुरादाबाद/बरेली/फैजाबाद/लखनऊ/कानपुर/गोरखपुर/आगरा/इलाहाबाद परिक्षेत्र।

3- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, जनपद-मेरठ/बिजनौर/शाहजहाँपुर/श्रावस्ती/बुलंदशहर/सीतापुर/ कानपुर नगर/गोरखपुर/रामपुर/इटावा/फिरोजाबाद/सुल्तानपुर/देवरिया/मैनपुरी/खीरी/प्रतापगढ/पीलीभीत/अम्बेडकरनगर/बागपत/संतकबीरनगर/हरदोई/बस्ती।

19.6.6

(सुजान वीर सिंह)
अपर निदेशक अभियोजन,
उ0प्र0, लखनऊ।

(6)

By Registered Post

From,

Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Firozabad

No. /IV-3213/Admin.(A) Dated:July, 2023

Subject:Counting of previous service of Smt. Deepa Rai, earlier Additional District & Sessions Judge, Firozabad presently Special Judge(SC/ST, Prev. of Atroci Act), Firozabad with present service in U.P.Nyayik Sewa/U.P.H.J.S for retiral benefits.

Sir,

With reference to aforesaid subject, I am sending herewith copy of Government Office Memorandum No. 191/II-4-2023-23(24)/2006 dated 31.05.2023 and to say that the Government of U.P. has been pleased to approve counting of previously rendered service as Assistant Prosecution Officer in Prosecution Department from 11.04.2005 till 20.06.2006, under administration of U.P.State Government of Smt. Deepa Rai, aforesaid with his present service in U.P.Nyayik Sewa/U.P.H.J.S , in light of Clause 361 of C.S.R. and Notification no. Sa-3-379/X-2005-301(9)-2003 dated 28.03.2005 read with Notification no. 16/2019/Sa-3-322/X-2019-301(8)/2015 dated 16.04.2019, only for retiral benefits, subject to the condition that if any other rule changes at the time of retirement of officer, then final decision shall be taken on the basis of modified rules only.

I, am therefore, to request you to kindly ask concerned official to keep herewith sent Government O.M. dated 31.05.2023 with service-records of Smt. Deepa Rai, aforesaid for future reference.

Yours faithfully,

Encls. :

Copy of Government O.M. no. 191/II-4-2023-23(24)/2006 dt 31.05.2023.

Joint Registrar
(Admin Misc.)
'For Registrar General'

No. 9803 /IV-3213/Admin.(A) Dated:July, 25 2023

Copy forwarded for information and necessary action to following :

(1) The Additional Director, Directorate of Treasuries, Camp Office, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad accompanied with original service-books (in two volume) and copy of Government O.M. No. 191/II-4-2023-23(24)/2006 dated 31.05.2023 with the request to annex same with service-records of Smt. Deepa Rai, aforesaid for future reference.

Encls:

Original service-books(in two volume) & copy of Govt. O.M. no. 191/II-4-2023-23(24)/2006 dt 31.05.2023

(2) Smt. Deepa Rai, Special Judge(SC/ST, Prev. of Atroci Act), Firozabad.

Encls. :

Copy of Government O.M. no. 191/II-4-2023-23(24)/2006 dt 31.05.2023.

20.07.2023

Joint Registrar
(Admin Misc.)
'For Registrar General'

19/07/23

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या- 191 /दो-4-2023-23(24)/2006
लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3444/IV-3213/एडमिन.(ए), दिनांक 04.03.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गई संस्तुति के क्रम में श्रीमती दीपा राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा उ0प्र0 न्यायिक सेवा में दिनांक 21.06.2006 को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर दिनांक 11.04.2005 से 20.06.2006 तक की गयी सेवा को उनकी वर्तमान सेवा में सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-361 तथा अधिसूचना सं0-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003, दिनांक 28-03-2005 सपठित अधिसूचना सं0-16/2019/सा-3-322/दस-2019-301(8)/2015, दिनांक 16-04-2019 के प्रावधानों के अधीन, मात्र सेवानैवृत्तिक लाभ हेतु जोड़े जाने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है कि श्रीमती दीपा राय की सेवानिवृत्ति के समय यदि कोई भिन्न नियम प्रभावी होते हैं, तो उन्हीं नियमों के अनुरूप अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। श्रीमती दीपा राय की सेवाएं एन0पी0एस0 से आच्छादित होंगी।

Signed by सुनील कुमार
Date: 31-05-2023 10:16:41
Reason: Approved

(सुनील कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-191(1)/दो-4-2023-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को श्रीमती दीपा राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद की सेवा पुस्तिका 02 खण्ड मूलरूप में **(संलग्नक-यथोक्त)**।
3- पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, 8 वां तल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, प्रयागराज।
5- श्रीमती दीपा राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
6- वित्त (सामान्य) अनुभाग-२
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
विशेष सचिव।

(8)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A A- A A+

SMT. DEEPA RAI

Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act)
Gorakhpur

Id No:	UP6235
Father's/Husband's Name:	AWADHESH RAI
Date of Birth:	10-09-1978
Date of Retirement:	30-09-2038
Home District:	Mau
Home State:	Uttar Pradesh
Date of Appt. in Judicial Service as Munsif/CJ(JD):	21-06-2006
Date of Promotion in CJ/CJ(SD):	14-12-2009
Date of Conf. on Munsif/CJ(JD):	11-09-2019
Date of Promotion to Class-I:	14-12-2009
Date of Joining in HJS under Rule 22(3) of UP HJS Rule 1975:	
Date of Joining in HJS under Rule 22(1) of UP HJS Rule 1975:	17-02-2018
Date of Conf. in HJS:	

Qualification Details

SL	DETAILS	DIVISION	YEAR
1.	High School	First	1993
2.	Intermediate	First	1995
3.	LL.B.(Hons.)	First	2000

Training Details

SL	SUBJECT	INSTITUTE	FROM-TO
1.	Foundation/Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	24-06-06 - 07-08-06
2.	Induction Training	I.J.T.R., U.P. Lucknow	17-04-07 - 31-05-07
3.	Refresher Training Programme Under 13 Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	09-01-12 - 13-01-12
4.	Refresher Training Programme for Civil Judges under 13th Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	14-05-13 - 18-05-13
5.	Special Training Programme on Managerial Effectiveness at IIM Lucknow		03-02-14 - 07-02-14
6.	Refresher Training Programme for Judicial Officers under 14 Finance Commission Scheme	I.J.T.R., U.P. Lucknow	03-10-17 - 07-10-17
7.	Training Programme on UBUNTU 16.04 & CIS 2.0	I.J.T.R., U.P. Lucknow	21-02-18 - 22-02-18
8.	Special Training Programme for Recently Promoted ADJs	I.J.T.R., U.P. Lucknow	07-05-18 - 11-05-18

9.	Management Development Programme (MDP) for Judicial Officers of Uttar Pradesh	IIPA, New Delhi	23-09-19 - 27-09-19

Posting Details

SL	DESIGNATION PLACE	FROM TO	REMARKS
1.	Judicial Magistrate Rai Bareli	21-06-2006 02-01-2007	
2.	Civil Judge (Junior Div.) Dalmau at Rae Bareli	02-01-2007 26-09-2007	
3.	Judicial Magistrate Rai Bareli	26-09-2007 06-06-2009	
4.	Civil Judge (Junior Div.) Jaunpur	08-06-2009 14-12-2009	
5.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Jaunpur	14-12-2009 16-04-2012	
6.	Addl. Civil Judge (Sr.Div.)/ACJM. Ayodhya	18-04-2012 15-04-2015	
7.	Civil Judge (Senior Div.) Saharanpur	18-04-2015 04-07-2015	
8.	Chief Judicial Magistrate Saharanpur	04-07-2015 19-02-2016	
9.	Judge Small Causes Court Saharanpur	19-02-2016 08-05-2017	
10.	Chief Judicial Magistrate Saharanpur	08-05-2017 19-02-2018	
11.	A.D.J. (FTC) Saharanpur	19-02-2018 23-04-2018	
12.	Addl. District & Sessions Judge Hardoi	24-04-2018 02-08-2018	
13.	XIth Addl. District & Sessions Judge Hardoi	02-08-2018 25-02-2019	
14.	Addl. District & Sessions Judge Hardoi	25-02-2019 07-03-2020	
15.	A.D.J. (POCSO) Hardoi	07-03-2020 12-04-2021	
16.	Addl. District & Sessions Judge Firozabad	14-04-2021 28-04-2023	
17.	Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act) Firozabad	28-04-2023 25-07-2023	
18.	Addl. District & Sessions Judge Firozabad	25-07-2023 15-04-2024	
19.	Spl. J. (SC/ST, Pev.of Atroci Act) Gorakhpur	18-04-2024	

(* : The exact date on which charge taken/handed over is not known. This is the date of notification of transfer.)

(The above information is subject to verification by Services Section.)